

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

डबल्यू.पी. (सी) सं. 3861/2016

बोल-बम कावरिया संघ अपने अध्यक्ष आनंद चोपकर के माध्यम से

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव के माध्यम से।
2. उपाध्यक्ष, बाबा बैद्यनाथ धाम बासुकीनाथ धाम, तीर्थ स्थान विकाश क्षेत्र प्राधिकार. देवघर, झारखण्ड
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबा बैद्यनाथ धाम बासुकीनाथ धाम, तीर्थ स्थान विकाश क्षेत्र प्राधिकार. देवघर, झारखण्ड
4. बाबा बैद्यनाथ धाम बासुकीनाथ धाम, तीर्थ स्थान विकाश क्षेत्र प्राधिकार. देवघर, झारखण्ड अपने अध्यक्ष के द्वारा

.....उत्तरदाता गण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अमितेश कुमार गीसन, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए: श्री श्रीनु गरपति एससी III

05/ 07. 01. 2021 वर्तमान रिट याचिका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई है।

श्री अमितेश कुमार गीसन, एडवोकेट, याचिकाकर्ता के लिए विद्वत अधिवक्ता के निर्देश पर वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं।

श्री श्रीनु गरपति, उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान एससी-III को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

अनुमति दी जाती है।

रिट याचिका को वापस ले लिया गया है।

(राजेश शंकर, न्याया0)

रोहित